वित्त निर्देश 4/2014

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन - नया रायपुर

क्रमांक 51/एल 2014-71-00140/वि/नि/चार नया रायपुर, दिनांक 3 फरवरी, 2014

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
समस्त प्रबंध संचालक,
निगम/मंडल/बोर्ड/स्वशासी संस्था
छत्तीसगढ़

विषयः- राज्य शासन के मंडल, निगम, बोर्ड एवं अन्य स्वशासी संस्थाओं में कार्यालय प्रमुख एवं आहरण तथा संवितरण कार्य संपादन बाबत् ।

छत्तीसगढ़ वित्त संहिता भाग 1 के नियम 2(23) के अनुसार ''कार्यालय प्रमुख'' से तात्पर्य ऐसे राजपत्रित अधिकारी से है, जो शासन के विभाग द्वारा स्थानीय कार्यालय के लिए प्रभारी अधिकारी घोषित किया गया हो, तथा जिसे संवितरण की शक्तियाँ प्रदत्त हो ।'' उक्त से स्पष्ट है कि कार्यालय प्रमुख तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारी का दायित्व किसी नियमित शासकीय अधिकारी को ही सौंपा जा सकता है । अर्थात् उक्त अधिकार संविदा/तदर्थ/दैनिक वेतन पर नियुक्त अधिकारियों को नहीं सौंपा जा सकता है ।

2/ राज्य शासन के ध्यान में लाया गया है कि प्रदेश के कतिपय निगम/मंडल/आयोग एवं अन्य स्वशासी संस्थाओं में आहरण एवं संवितरण का कार्य संविदा पर नियुक्त अधिकारियों को सौंपा जा रहा है, जो नियमानुकूल नहीं है ।

अतः राज्य शासन के अधीनस्थ समस्त निगम/मंडल/आयोग एवं अन्य स्वशासी संस्थाओं को यह स्पष्ट किया जाता है कि वे संस्था के आहरण एवं संवितरण का अधिकार केवल नियमित सेवा के अधिकारियों को ही प्रत्यायोजित करें ।

(एस.के.चक्रवर्ती)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ.क्र. 52/एल 2014-71-00140/वि/नि/चार नया रायपुर, दिनांक 3 फरवरी, 2014

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय ।
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर ।
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर ।
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, नया रायपुर ।
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, नया रायपुर ।
9. प्रमुख सचिव वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, नया रायपुर ।
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर ।
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली ।
12. राज्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, शंकर नगर, रायपुर ।
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर ।
14. आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नया रायपुर ।
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर ।
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ ।
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़ ।
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़ ।
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर ।
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ ।
21. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की बेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(करूणा पाण्डेय)
विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
वित्त विभाग

NayakD:\Documents and Settings\RAJESH\My Documents\VitNerdesh\pdf_2014\Doc File\04.doc